प्रथम अध्याय

शोध परिचय

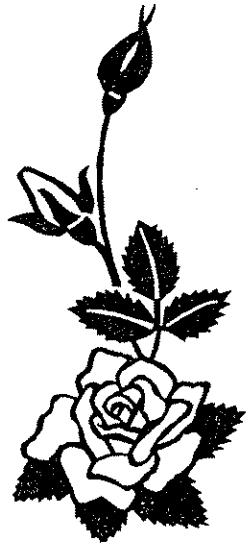

प्रथम अध्याय

शोध परिचय

1. प्रस्तावना :-

आदिवासी भारत के मूल निवासी हैं। ये प्रारंभ से ही दूरस्थ एवं निर्जन स्थानों पर निवास करते रहे हैं। परिणाम स्वरूप आदिवासी पर शहरी सभ्यता एवं विकास का बहुत कम सार्थक प्रभाव पड़ा है, इसी कारण यह सदैव प्रगति के नवीन साधनों के आभाव से ग्रस्त रहे हैं। इसलिये आदिवासियों को सैकड़ों वर्ष पूर्व की सभ्यता में जीवन यापन करते हुए देखा जा सकता है। अण्डमान निकोबार द्वीप समूहों के कुछ क्षेत्र में आज भी मानव को नग्न विचरण करते हुए देखा जा सकता है। जो इसके अविकसित होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। दूरस्थ क्षेत्रों में निवास करते तथा आवागमन के साधनों का अभाव होने के कारण आज भी शहरी सभ्यता से कटे हुए हैं। इसी प्रकार आदिवासी प्रारंभ से ही उपेक्षित एवं शोषित रहे हैं। अलग अलग रहने के कारण प्रशासन का ध्यान भी इनके विकास की ओर आकृष्ठित नहीं हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जब केन्द्र सरकार ने इसकी परिस्थिति एवं अलगाव की ओर विशेष ध्यान देना प्रारंभ किया तभी राज्य सरकारों एवं अन्य संस्थाओं में इनके विकास एवं सामाजीकरण के लिए जागरूकता हुई एवं इन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के लिये प्रयत्न प्रारंभ किये जाने लगे ताकि आदिवासी देश की मुख्य धारा से जुड़ सके और अपनी प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर को भी सुरक्षित रख सके। इतिहास बताता है कि यहाँ कि जनजातियां शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ी ही नहीं अपितु वंचित रही है। प्राचीन हिन्दूकाल में आदिवासी समाज का अधिकांश भाग भी अशिक्षित रहा, क्योंकि स्वयं हिन्दु समाज में शूद्रों और स्त्रियों को शिक्षा पाने के अधिकार प्राप्त नहीं थे। महाभारत में ''एकलव्य'' की कथा यह बताती है कि हिन्दू समाज में जनजातियों के सदस्य को शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था।

देश के स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासियों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी पुराने रजवाड़ों एवं शाहूकारों द्वारा इनका शोषण निरंतर किया जाता रहा। देश में संविधान लागू होने के पश्चात ही उपेक्षित एवं मुख्य धारा से कटे हुए आदिवासियों के विकास की ओर पूर्ण ध्यान दिया गया एवं संविधान में इसके लिये विशेष प्रावधान कर सुरक्षात्मक उपाय किये गये। इस प्रकार इन्हें कानूनी संरक्षण प्रदान करते हुए देश की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया गया । परिणाम स्वरूप प्रमुख जनजातियों के समूहों की उनकी स्थिति के अनुसार राज्यवार ''अनुसूचित'' घोषित किया गया, जिसे अन्ततः अनुसूचित जनजाति एवं आदिवासी कहा जाने लगा।

तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी आदिवासियों के विकास की ओर

विशेष ध्यान दिया और उन्होंने आदिवासी लोगों के विकास हेतु कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किये। इन लोगों को विकास में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित कर इनके प्रतिनिधियों को सम्मिलित करते हुए इन्हें भी शामिल किया गया ताकि ये भारत की मुख्यधारा से जुड़ सके। यह सिद्धांत निम्न प्रकार के हैं :–

1. जनजाति के व्यक्तियों को अपनी अंतर्निहित प्रतिभा के अनुरूप विकसित होने देना चाहिये और उन पर कुछ भी थोपने से बचना चाहिये। हमें हर समय उनकी अपनी परंपरागत कला और संस्कृति को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिये।
2. हमें प्रशासन एवं विकास कार्य के लिए उनके स्वयं के लोगों के दलों को प्रशिक्षित एवं तैयार करना चाहिये। प्रारंभ में निश्चित ही कुछ तकनीकि कार्यकर्ता बाहर से लेने होंगे, लेकिन जनजाति क्षेत्र में बहुत अधिक बाहरी व्यक्तियों को प्रवेश करने से बचना चाहिये।
3. जनजाति समुदाय के कृषि भूमि तथा वन संबंधी अधिकारों का ध्यान रखना चाहिये।
4. अज्ञान, शोषण, ग़रीबी और पिछड़ापन का प्रमुख कारण है। आदिवासियों का अशिक्षित होना। शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है। जिसके द्वारा अनुसूचित जनजाति या आदिवासी की उन्नति संभव है। शिक्षा के द्वारा ही हमें आत्म सम्मान, आत्मविश्वास और सृजन की शक्ति को जागृत किया जा सकता है। शिक्षा ही यह परिवर्तन ला सकेगी और उन्हें इस योग्य बना सकेगी कि वे भारतीय समाज में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना सकें। अशिक्षित उन्नति के विभिन्न अवसरों का लाभ भी नहीं उठा पाते। यह स्थिति आदिवासियों के संदर्भ में विशेष रूप से देखी जा सकती है। वे पिछड़े, शोषित और गरीब इसी कारण है कि उन तक शिक्षा की रोशनी नहीं पहुंच पायी और वे अशिक्षा के अंधकार में भटकते हुए समाज से अलग–थलग पड़ गये। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि स्वतंत्रता के पश्चात विकास के जो अवसर समाज को मिलें उनका पूरा लाभ उन तक पहुंचाने के मामले में शासन ने अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ने के बावजूद भी उन तक न पहुंच सकी।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 के अनुसार राज्य शासन की यह जिम्मेदारी है कि कमजोर वर्ग विशेषकर आदिवासियों की शिक्षा से संबंधित गतिविधियों में तेजी से विस्तार करें। भारतीय संविधान में निहित इस भावना के अनुकूल राज्य शासन का आदिमजाति कल्याण विभाग आदिवासी क्षेत्रों में निहित इस भावना के अनुकूल राज्य शासन का आदिम जाति कल्याण विभाग आदिवासी क्षेत्रों में शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन कर रहा है।

अनुसूचित जनजातियों को अन्य लोगों की बराबरी में लाने के लिए आदिवासी क्षेत्रों में शालायें खोली गई। इनके लिए भवनों का निर्माण किया तथा विशेष वित्तीय आवंटन किया गया है,

आश्रम शालायें तथा आवासीय विद्यालय खोले गये हैं। आंगनवाड़ी औपचारिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा के ऊपर विशेष बल दिया गया है। इन सब प्रयासों के बावजूद गुजरात में आदिवासी का साक्षरता प्रतिशत कम रहा है। हमारे संविधान में आदिवासियों की अपनी संस्कृति तथा सामाजिक विशिष्टता बनायें रखने के लिये विशेष बल दिया गया है।

1.1 जनजाति या आदिवासी का अर्थ एवं परिभाषाएँ

भारत देश के प्रजातिय इतिहास से एक उल्लेखनीय यह बात ज्ञात होती है, यहां प्राचीनकाल से ही विभिन्न प्रजातियां संस्कृति के महासागर में प्रारंभ से ही विलीन होने में असमर्थ रही है। ये प्रायः सभ्य समाज से दूर जंगली पहाड़ी या पठारी क्षेत्र में रहते हैं और प्रत्येक दृष्टि से पिछड़ी हुई है।

आदिवासी की कुछ प्रमुख परिभाषाएँ निम्नप्रकार से है :-

1. मुजुमदार (1962)

जनजाति कुछ परिवारों का समूह है, जो निश्चित भू–भाग में निवास करता है। एक व्यवसाय अपनाये हुए है और व्यवस्था रखने के लिए एक मान चिन्ह स्थिर किये हुए है।

2. रिजले और टक्करबाबा (1964)

जनजाति को वन्य जाति कहा जाता है। ऐसा इसलिये कहा गया कि कुछ जनजातियाँ आज भी वनों में रहती है और वे सभ्यता से आरवटे युग की सभूति दिलाती हैं। जब मनुष्य जीवनशैली के आधार पर पशु की कोटी में था तब हिंसक और मांसभक्षी था। आज भी कुछ जनजातियाँ वैसे ही विचरण करती हैं। इनमें कुछ तो आज भी मांसभक्षी हैं, इनमें से कोई जनजाति 'चारागाह युग' का स्मरण करती है। जैसे बनजारे जो पालतू पशुओं को साथ लेकर देश–देशान्तरों में भ्रमण करते हैं।

3. हटन (1982)

मध्यप्रदेश में निवास करने वाले आदिवासियों को आस्ट्रेलियाई प्रजाति के समूह का बताया है। इस तरह स्पष्ट है कि आदिवासी वह क्षेत्रीय मानव समूह है जो भू–भाग, भाषा, सामाजिक नियम और आर्थिक कार्य आदि की दृष्टि से एक सामान्य सूत्रों में बंधा है।

4. गिलीन और गिलीन

स्थानिक आदिम समूहों के किसी भी समूहों को जो एक सामान्य क्षेत्र में रहता हो और एक समान भाषा बोलता हो और एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण करता हो। उसे आदिवासी कहते हैं।

5. रिवर्स (1980)

सामान्य निवास स्थान को महत्व न देते हुए जनजाति को ऐसा सामाजिक समूह बताया है, जिसके सदस्य सामान्य भाषा का प्रयोग करते हों तथा युद्ध आदि सामान्य उद्देश्यों के लिये सम्मिलित कार्य करते हों। परंतु उपरोक्त कथन का यह अभिप्राय नहीं है, कि जनजातियों का सामान्य निवास क्षेत्र नहीं होता है।

वे घुमक्कड़ प्रवृतियों के होते हैं। परंतु फिर भी इनका जीवन निश्चित क्षेत्र तक सीमित होता है।

इसी प्रकार की परिभाषा यह बताती है, कि आदिवासी एक पिछड़ा हुआ समाज है। और परिवर्तन विरोधी होने के कारण आज भी पिछड़ा हुआ है। जादूटोना, अशिक्षा, रहन सहन का निचला स्तर, भाषा और साहित्य से वंचित मानव जीवन की प्रारंभिक दशा में स्थिर आदि कुछ ऐसा अधिकार है, जो जनजाति की अवधारणा ही व्यक्त करते हैं।

1.2 आदिवासी की प्रमुख विशेषताएँ :-

जनजाति की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :-

1. आदिवासी अनेक परिवारों या परिवारों के समूह का संकलन है।
2. इनका एक सामान्य नाम होता है।
3. यह एक निश्चित भू-भाग पर निवास करते हैं।
4. आदिवासी की अपनी एक भाषा होती है। जिसमें विचारों का आदान प्रदान और पारंपरिक एकता हो सकती है।
5. आदिवासियों का आर्थिक स्तर निचला होता है।
6. आदिवासी समुदाय के सदस्यों की सामान्य संस्कृति होती है।

1.3 गुजरात में अनु. जन. जाति :-

गुजरात में अनु. जन जाति की बस्ती राज्य की कुल बस्ती के 14 प्रतिशत है वे राज्य के पिछड़े क्षेत्र में निवास करते हैं। गुजरात में 29 अनु. जन जातियां हैं, जिसमें भील, दुबला, पटेलिया, ढोडिया, चौधरी, कूकणा, वारली, राठवा, धानका, नायक, नायकडाओ का समावेश होता है। इसके उपरांत कोटवालिया, कोलधा, काथोड़ी पठार एवं सिद्धी जैसी अत्यंत पिछड़ी हुई आदिवासी जातियां भी निवास करती हैं।

गुजरात राज्य के पिछड़े जिलों में अति पिछड़ा जिला दाहोद है। दाहोद जिला नवनिर्मित जिला है। जिसकी निर्मिती पंचमहल जिले से ता. 2/10/1997 को हुई थी। दाहोद जिले का नामांतरण हिन्दी को द्विसीमा याने दो हद से हुआ है। चूँकि दाहोद मध्यप्रदेश एवं राजस्थान की सीमाओं को स्पर्श करता है एवं औरंगजेब के जन्म के लिए प्रचलित है।

कुल क्षेत्र	:	3632 चो. कि.मी.
जलवायु	:	गरम
गांव की संख्या	:	696
बस्ती	:	16.35 लाख
ग्राम्य	:	14.79 लाख
शहरी	:	1.56 लाख
अ.ज.जाति	:	466460
साक्षरता दर	:	45.65 प्रतिशत

ब्लाक अहवाल :-

गांव की संख्या	:	96
बस्ती	:	185368
पुरूष	:	93016
स्त्री	:	92352
प्रा. शाला	:	218
शिक्षक	:	840
छात्रों की संख्या	:	34013
अ.ज.जाति के छात्र	:	32232
साक्षरता दर कुल	:	36.79 प्रतिशत

V.E.C.	P.T.A.	M.T.A.	जेन्डर यूनिट
92	218	218	92

1.4 आदिवासियों का सामाजिक जीवन :-

गुजरात के जन समुदाय की आदिवासी एक इकाई है। इनका सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन स्तर निम्न कोटि का है। इनका जीवन वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत किया गया है –

1. आवास :

आदिवासी की आर्थिक परिस्थिति निम्न कोटि की होने के कारण उनके मकान कच्चे होते हैं। इनमें हवा आने के लिए रोशनदान नहीं होते, जिनमें केवल एक प्रवेश द्वार होता है। बहुतांश आदिवासियों को अब राज्य सरकार ने घरकूल के अन्तर्गत इन्दिरा गांधी आवास योजना के अन्तर्गत घरकूल दिया है। ताकि उसके रहने की समस्या छूट सके। उस घर में दो कमरे होते हैं।

2. भाषा :

आदिवासी की अपनी एक अलग भाषा होती है। जिनके द्वारा वे अपनी बातों को प्रदर्शित करते हैं।

3. संस्कार :

आदिवासी अपनी रीति–रिवाजों एवं परंपरा में बंधा हुआ है। युगों से प्रचलित रीति–रिवाजों एवं परंपरा को ये लोग बेहद प्यार करते हैं, सामान्य तौर पर इनका अपनी एक विशेष संस्कृति है। जिससे यह लोग अपने को एक निराला समूह मानते हैं।

4. आर्थिक स्थिति :

भील आदिवासियों की सामान्य आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होती है। उनकी जीविका के साधन बहुत कम और परंपरागत होते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान सभी की प्रमुख आवश्यकता है।

आदिवासी की आमदनी का दूसरा जरिया वनोपन को एकत्रित करके बाजारों में बेचना भी है।

5. विवाह :

आदिवासी की विवाह प्रथा उतनी ही महत्वपूर्ण है, जितनी की अन्य सभी जातियों में है। लेकिन सभ्य जाति की प्रथा से ये कई पहलुओं में भिन्न है।

6. धर्म एवं जादू टोने :

आदिवासियों में प्रायः यह देखा जाता है कि यह लोग अधिक अंधविश्वासी होते हैं। अतः अन्ध विश्वास मुख्यतः इनमें निम्न रूपों में पाया जाता है।

(क) शकुन – अपशकुन

(ख) जादू टोना

(ग) झाड़फूंक

(घ) तंत्र – मंत्र

(च) टोटका आदि

7. मृतक संस्कार :

आदिवासी समाज में भी वही प्रथा प्रचलित है। जैसा की साधारण मौत से मरे व्यक्ति को अग्निदाह एवं सांप कांटने से मरने वाले व्यक्ति को दफनाते हैं।

1.5 आदिवासियों के लिए संवैधानिक प्रावधान

भारतीय संविधान में इन आदिवासियों के लिये कई प्रकार के प्रावधान रखे गये हैं। ये प्रावधान विशेषकर आदिवासी पिछड़े समाज के लिये रखे गये हैं।

1. भाग – 3 (अनुच्छेद–29)

भारतीय संविधान अल्प संख्यकों, वंचित वर्ग एवं आदिवासियों के शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा करेगा।

2. भाग – 4 (अनुच्छेद–46)

राज्य वंचित वर्ग, आदिवासी एवं हरिजनों, अल्पसंख्यकों वर्ग की शिक्षा एवं आर्थिक सहायता करके उन्हें उनके पूर्ण विकास करने में सहायता देकर आगे बढ़ायेगा।

3. भाग–12 (ए. अनुच्छेद–275)

के अनुसार यह सरकार द्वारा राज्य सरकार को वहां के आदिवासियों की प्रगति के लिए केन्द्र सरकार से आर्थिक महत्व दिलवाना है।

4. अनुच्छेद (ए–339)

के अनुसार, राष्ट्रपति संविधान बनने के बाद दश वर्ष पूर्ण होने तक या कभी भी आदिवासी कल्याण की जानकारी प्राप्त कर सकता है।

5. अनुच्छेद (ए–340)

भारत के राष्ट्रपति किसी भी कमीशन को नियुक्त करके आदिवासी एवं पिछड़े वर्ग की जानकारी प्राप्त करके उनकी कठिनाईयों को अपने तरीके से दूर कर सकता है।

6. संविधान के (अनुच्छेद–15)

के अनुसार, राज्य (देश) किसी भी नागरिक के विरूद्ध जाति, वर्ग, लिंग, उन्नति एवं जन्म स्थान आदि कारणों से अन्याय नहीं करेगा।

7. संविधान के (अनुच्छेद–29)

में पिछड़े वर्ग के नागरिकों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सामाजिक एवं शैक्षणिक उन्नति एवं प्रगति के लिए विशेष प्रावधान का उपयोग किया गया।

8. संविधान के (अनुच्छेद–29 द्वितीय)

में कहा गया है कि कोई भी नागरिक किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश देने को मना नहीं

करेगा। अपनी जाति, धर्म, प्रगति, भाषा, संस्कृति आदि के लिए राज्य को अधिकृत किया गया है।

9. संविधान के (अनुच्छेद-46)

में राजनीति–निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत कहा गया है कि शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखना उनकी प्रगति एवं उन्नति करने में सहायता देना तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषणों से इनकी रक्षा करना राज्य का उत्तरदायित्व होगा।

1.6 कोठारी कमीशन में (1964-66) में आदिवासी शिक्षा :-

कोठारी शिक्षा आयोग के अनुसार शिक्षा के अवसरों की विषमताओं का तक और कारण यह है कि, जनसंख्या तक का बहुत बड़ा भाग निर्धन है। कोठारी शिक्षा आयोग के अनुसार "उन्नत वर्ग और पिछड़े अनुसूचित जातियों और जनजातियों के शैक्षिक विकास का अंतर पहले अंतर जितना ही बड़ा और कभी कभी उससे भी अधिक बड़ा होता है। कोठारी आयोग ने शैक्षिक विषमताओं के निराकरण के निम्नलिखित उपाय बताये हैं –

1. विद्यालय में निर्धन वर्ग के बच्चों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये।
2. माध्यमिक विद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा की संस्था में पुस्तक बैंकों का कार्यक्रम विकसित किया जाना चाहिये।
3. स्त्रियों की शिक्षा के लिए आवश्यक धन प्राथमिकता के आधार पर दिया जाना चाहिये।
4. अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के लिये छात्रावास की योजना की जानी चाहिये।
5. आदिमजाति क्षेत्र पर सरकारी संगठनों पर प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये।
6. सभी स्तरों तथा सभी क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा की और पर्याप्त ध्यान देना आवश्यक है।
7. माध्यमिक विद्यालय तथा उच्च शिक्षा की संस्थाओं के पुस्तकालयों में पाठ्यपुस्तकें पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिये, जिससे छात्र उनका प्रयोग कर सके।
8. सरकार के द्वारा ऐसी नीतियाँ अपनाना चाहिये, जिससे विभिन्न जिलों में शिक्षा के अवसरों और शैक्षिक विकास की क्षमता आ सके।
9. शुल्क धीरे धीरे घटा देनी चाहिये। छात्रों की पुस्तकें स्टेशनरी, दिन का भोजन और विद्यालय की वर्दियां भी मुफ्त दी जानी चाहिये।
10. छात्रवृत्तियों की संख्या बहुत अधिक बढ़ाने का कार्यक्रम बनाना आवश्यक है।

1.7 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आदिवासी शिक्षा :-

आदिवासियों को अन्य लोगों की बराबरी पर लाने के लिये अग्रलिखित कदम उठाये जाने के लिये कहा है :–

1. आदिवासी इलाके में प्राथमिक शालायें खोलने के काम को पहला महत्व शिक्षा के लिए सामान्य निधि तथा एन.आर.इ.पी. और आर.एल.इ.पी.जी. जनजाति कल्याण योजनाओं आदि के अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर इन क्षेत्रों में स्कूल भवनों का निर्माण कार्य शुरू किया जायेगा।
2. आदिवासियों के माहौल का अपना अलग रंग होता है। उनकी विशिष्ठता प्रायः अन्य बातों के साथ अपनी बोलियों में निहित है। पाठयक्रम में इनकी अहमियत नहीं भुलाई जानी चाहिये। पढ़ाई की शुरूआत ही उनकी अपनी भाषा से होनी चाहिये। आगे चलकर प्रादेशिक भाषा की खाई को पार किया जा सकता है।
3. पढ़े लिखे और प्रतिभाशाली आदिवासी युवकों को प्रशिक्षण देकर अपने क्षेत्र में ही शिक्षक बनने के लिये प्रोत्साहित किया जाये।
4. बड़ी तादाद में आवासीय विद्यालय एवं आश्रम विद्यालय खोले जायेंगे।
5. आदिवासियों के लिये उनकी जीवनशैली और खास जरूरतों को ध्यान में रखते हुये प्रेरणादायी योजना तैयार की जायेगी। उच्च शिक्षा के लिये दी जाने वाली छात्रवृत्तियों में तकनीकी और अच्छी व्यवसायिक किस्म की पढ़ाई को ज्यादा महत्व दिया जाए। मनोवैज्ञानिक, सामाजिक प्रबंधनों को दूर करने के लिये विशेष उपचारात्मक पाठयक्रमों की व्यवस्था की जायेगी।
6. आंगनवाड़ियाँ, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र और प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र आदिवासी बहुल इलाके में खोले जायेंगे।
7. हर कक्षा के लिये पाठयक्रम तय करते हुये इस बात का ख्याल रखा जायगा कि आदिवासी छात्र अपनी कीमती, तहजवी, पहचान के प्रति सचेत रहें और उसकी सृजनात्मक प्रतिभा का उपयोग कर सकें। 8 बड़ी संख्या में आश्रम विद्यालय एवं आवासीय शाला खोले जायेंगे।
9. अनुसूचित जनजातियों के लिये उनकी जिंदगी की तौर तरीकों और उनकी खास जरूरतों को ध्यान में रखते हुये ऐसी योजनायें तैयार की जायेंगी जिनमें शिक्षा प्राप्ति में आने वाली बाधायें दूर हो जायें।
10. उच्च शिक्षा के लिये दी जाने वाली छात्रवृत्तियों में तकनीकी तथा व्यवसायिक पढ़ाई को अधिक महत्व दिया जायेगा।

1.8 समस्या की आवश्यकता

स्वतंत्रता के पूर्व ब्रिटिश राज्यकर्ताओं ने भारतीय लोगों की शिक्षा के प्रति उदासीनता बरतने अपनी धन्यता समझी है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारतीय इतिहास बताता है कि शिक्षा को भारतवासियों ने प्राथमिकता दी है। लेकिन खेद जनक बात तो यह है कि आजादी के 57 साल बाद भी और प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण की बातें करते हुये भी समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग यानि

आदिवासी अभी तक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा ही नहीं, अपितु वंचित रहा है। आदिवासी अभी तक समाज के प्रमुख प्रवाह से जुड़ा नहीं है।

भारत सरकार ने आदिवासी वर्ग की उन्नति के लिये एवं समाज को मुख्यधारा से जोड़ने के लिये शिक्षा के माध्यम से प्रयत्न किये गये हैं। लेकिन आदिवासियों की उन्नति जितनी चाहिये उतनी हुई नहीं। तद्वदच आदिवासियों के लिये भारत सरकार ने आश्रम शालाएं खोली एवं बच्चों को रहने से लेकर, खाना एवं पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क प्रदान किये गये। लेकिन अभी तक उन पाठशालाओं में पढ़ रहे विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि जितनी चाहिये उतनी क्यों नहीं हुई ? इसके लिये अपनाये गये नीतियों के क्या परिणाम रहे ? वर्तमान में भी शिक्षा का प्रतिशत क्यों कम है ? आदिवासियों की संस्थागत शिक्षा का विकास क्यों नहीं हो पाया है ? जैसा कि अन्य समाज में हुआ है। आदि प्रश्न का उत्तर केवल अनुसन्धान करने से ही मिल सकता है। वर्तमान अध्ययन में शोधकर्ता ने इन्हीं प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास किया है।

1.9 उद्देश्य :-

1. अनु. जन जाति के बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि पर पारिवारिक नियंत्रण के प्रभाव का अध्ययन करना।
2. अनु. जन जाति के बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि पर पारिवारिक संरक्षण के प्रभाव का अध्ययन करना।
3. अनु. जन जाति के बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि पर पारिवारिक दंड के प्रभाव का अध्ययन करना।
4. अनु. जन जाति के बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि पर पारिवारिक अनुपालन के प्रभाव का अध्ययन करना।
5. अनु. जन जाति के बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि पर पारिवारिक विलगन के प्रभाव का अध्ययन करना।
6. अनु. जन जाति के बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि पर पारिवारिक पुरस्कार के प्रभाव का अध्ययन करना।
7. अनु जन जाति के बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि पर पारिवारिक विशेषाधिकार से वंचितता के प्रभाव का अध्ययन करना।
8. अनु. जन जाति के बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि पर पारिवारिक पालन पोषण के प्रभाव का अध्ययन करना।
9. अनु. जन जाति के बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि पर पारिवारिक नामंजूरी के प्रभाव का अध्ययन

करना।

10. अनु. जन जाति के बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि पर पारिवारिक अनुमत के प्रभाव का अध्ययन करना।

11. अनु. जन जाति के बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि पर उपस्थिति के प्रभाव का अध्ययन करना।

1.10परिकल्पनायें (Hypothesis) :—

1. अनु. जन जाति के छात्र एवं छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि पर पारिवारिक नियंत्रण के प्रभाव का सार्थक अन्तर नही है।
2. अनु. जन जाति के छात्र एवं छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि पर पारिवारिक संरक्षण के प्रभाव का सार्थक अन्तर नहीं है।
3. अनु. जन जाति के छात्र एवं छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि पर पारिवारिक दंड के प्रभाव का सार्थक अन्तर नहीं है।
4. अनु. जन जाति के छात्र एवं छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि पर पारिवारिक अनुपालन के प्रभाव का सार्थक अन्तर नहीं है।
5. अनु. जन जाति के छात्र एवं छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि पर पारिवारिक विलगन के प्रभाव का सार्थक अन्तर नहीं है।
6. अनु. जन जाति के छात्र एवं छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि पर पारिवारिक पुरस्कार के प्रभाव का सार्थक अन्तर नहीं है।
7. अनु. जन जाति के छात्र एवं छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि पर पारिवारिक विशेषाधिकार से वंचितता के प्रभाव का सार्थक अन्तर नहीं है।
8. अनु. जन जाति के छात्र एवं छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि पर पारिवारिक पालन पोषण के प्रभाव का सार्थक अन्तर नहीं है।
9. अनु. जन जाति के छात्र एवं छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि पर पारिवारिक नामंजूरी के प्रभाव का सार्थक अन्तर नहीं है।
10. अनु. जन जाति के छात्र एवं छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि पर पारिवारिक उन्मुक्तता के प्रभाव का सार्थक अन्तर नहीं है।
11. अनु. जन जाति के छात्र एवं छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि पर उपस्थिति के प्रभाव का सार्थक अन्तर नहीं है।

1.11अनुसंधान की मर्यादा :

1. प्रस्तुत शोधकार्य में अनुसूचित जन जाति के छात्र एवं छात्राओं को लिया गया है।
2. प्रस्तुत शोधकार्य कक्षा 7वीं में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं पर किया गया है।
3. 11 अंतर्गत गुजरात राज्य के दाहोद जिला के फतेपुरा तहसील के चौदह प्राथमिक विद्यालयों में से 279 बच्चों का चयन किया गया है।
4. अध्ययन के लिए अनुसूचित जन जाति के बच्चों का चयन किया गया है।

एवं इस शोधकार्य में निम्नलिखित विद्यालय सम्मिलित हैं :–

1.	प्राथमिक शाला	मोटीशेरो
2.	प्राथमिक शाला	वटली
3.	प्राथमिक शाला	गराडिया
4.	प्राथमिक शाला	वांगड
5.	प्राथमिक शाला	माधवा
6.	प्राथमिक शाला	ढढेला
7.	प्राथमिक शाला	भीचोर
8.	प्राथमिक शाला	छालोर
9.	प्राथमिक शाला	बारसालेडा
10.	प्राथमिक शाला	वलुड़ी
11.	प्राथमिक शाला	करोड़िया
12.	प्राथमिक शाला	फतेपुरा
13.	प्राथमिक शाला	डुंगर
14.	प्राथमिक शाला	घुघस